राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या – 112/2013/कोटा.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–'ए', कोटा. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कैलाशचंद मनोज कुमार, शॉपिंग सेंटर, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

2. रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या – 113/2013/कोटा.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–'ए', कोटा. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुमित एजेंसीज, शॉपिंग सेंटर, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल.पाटोदी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/08/2017

निर्णय

ये दोनों रेक्टीफिकेशन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विभाग द्वारा इस पीठ के अपील संख्या क्रमशः 246 व 248/2012/कोटा में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 01.05.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत दायर किये गये है।

इन दोनों रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्रों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2003–04 के लिये अधिनियम की धारा 29 के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 8.9.2005 व 12.9.2005 को पारित किये गये थे। तत्पश्चात् महालेखाकार जांचदल के आक्षेप के अनुसरण में प्रकरणों को पुनः खोलते हुए अन्तर कर/सरचार्ज व ब्याज के आरोपण हेतु प्रत्यर्थीगण को अधिनियम की धारा 30 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु नोटिस दिनांक 28.6.2010 सुनवाई तिथि 6.7.2010 व 8.7.2010 के लिये जारी किये जाकर अधिनियम की धारा 30, 26 व 58 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 9.7.2010 व 31.8.2010 पारित करते हुए प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अन्तर कर/सरचार्ज व ब्याज का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.8.2011 से इस आधार पर अपास्त किया कि अधिनियम की धारा 30 के तहत कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 5 वर्ष के भीतर ही नोटिस जारी किया जा सकता है, जबकि प्रस्तुत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

पांच वर्ष की अवधि के पश्चात नोटिस जारी गये हैं। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.08.2011 के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील दायर की थी, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि विधिनुसार प्रत्यर्थीगण को मियाद के अन्दर नोटिस जारी किये गये थे, जो स्वीकार कर कर निर्धारण आदेश को स्वीकार किया जावे। इस पीठ द्वारा पारित निर्णय में **कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस को समयावधि के पश्चात् जारी किये गये मानकर अपीलाथी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया।** इस अंश के संशोधन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ऑडिट आक्षेप के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिनुसार प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस क्रमशः दिनांक 09.07.2008 एवं 04.06.2008 को कर निर्धारण पुनः खाले जाने हेतु जारी किये गये थे, जो कि कर निर्धारण पत्रावली के पेज संख्या क्रमशः 3 एवं 36 पर उपलब्ध है। इन नोटिस को पूर्व में अपीलीय अधिकारी एवं माननीय कर बोर्ड के समक्ष वक्त बहस पेश नहीं किये जा सके। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रकरण में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिये दिनांक 31.3.2009 तक ही नोटिस जारी किया जा सकता था, जबकि प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 30 के तहत आदेश पारित करने हेतु प्रथम नोटिस दिनांक 28.6.2010 को जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में धारा 30 के तहत आदेश पारित करने की मियाद निकल जाने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया कालातीत हो जाते हैं। अतः माननीय कर बोर्ड द्वारा विवादित कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विभाग द्वारा राजस्व की रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इन दोनों प्रकरणों में विवादित कर निर्धारण वर्ष 2003–04 है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा महालेखाकार जांचदल के आक्षेप के अनुसरण में अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रकरणों को पुनः खोलते हुए अन्तर कर/सरचार्ज व ब्याज आरोपण हेतु प्रथम नोटिस क्रमशः दिनांक 09.07.2008 एवं 04.06.2008 को जारी किये गये हैं, जो कि कर निर्धारण पत्रावली में उपलब्ध है, इन नोटिसों को अधिनियम की धारा 30(3) के तहत् समयावधि के भीतर जारी किए गये है। निश्चित समयावधि में थे। अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड का

लगातार.....3

अवलोकन करने में तथ्यात्मक भूल की है। सशक्त अधिकारी ने उपरोक्त दोनों प्रकरणों को पुनः खोलते हुए अधिनियम की धारा 30 के तहत् अन्तर कर/सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित किया है, इस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.08.2011 को अपास्त करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि उनके द्वारा प्रकरण की पुनः जॉच कर विधिसम्मत आदेश पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

1/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य